आर.ई.ओ.–73

जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर–342 003 फोन नं. 0291 2651227 (का) फेक्स नं० 2741870

क्रमांक:– प्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु–पीपीएम/पत्रा०सामान्य /प्रे०सं० 07 जोधपुर,दिनांक 2-4-04

आदेश

विषय :– कृषि पम्प सेटो में बढे हुये विद्युत भार को नियमित करने की स्वैच्छिक घोषणा आदेश आर.ई.ओ–68 दिनांक 15.1.2004 के सम्बन्ध में कुछ क्षेत्रो से स्पष्टीकरण चाहने के बाबत्।

****

निगम द्वारा प्रसारित आदेश संख्या क्रंमाक/अप्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु–पीपीएम/पत्रा0/ प्रे0सं0 1468 जोधपुर दिनांक 15.01.04 (आर.ई.ओ.–68) के अनुसार कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा बढे हुये भार की स्वैछिक घोषणा करने पर पूर्व मे लि। जा रहे रियायती शुल्क रुपये 750/– प्रति हॉर्स पॉवर की छूट दिये जाने का प्राव्धान है। इस विषय मे स्पष्टीकरण चाहा गया है कि उपरोक्त प्रावधान स्पेशल श्रेणी , हरा चारा ,फार्म हाऊस श्रेणी मे किस तरह से लागू करना है क्योंके निगम के आदेश क्रंमाक/अप्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अ.अ.–पी.पी.एण्ड.एम/पत्रा0/प्रे0सं0 578 जोधपुर दिनांक 14.01.02 (आर.ई.ओ.–16) मे रुपये 1450/– प्रति हार्स पॉवर लोड बढाने हेतु लिये जाने का प्रावधान था जबकि साधारण श्रेणी मे रुपये 750/– प्रति हॉर्स पॉवर लेने का प्राव्धान था। इस सम्बन्ध मे निम्न स्पष्टीकरण जारी किया जाता है कि स्पेशल श्रेणी , हरा चारा एंव फार्म हाऊस श्रेणी योजनाओ के उपभोक्ताओं से रुपये 1450/– के स्थान पर , रुपये 750/– की राहत देते हुए रुपये 700/– प्रति हॉर्स पॉवर ही लोड बढाने हेतु चार्ज करे। स्वैच्छिक भार वृद्वि की घोषणा आर.ई.ओ. 70 दिनांक 07.02.2004 के अनुसार 23.04.2004 तक प्रभावी रहेगी। अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगे।

2.4.04
(आर.एस.चौधरी)
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।